तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज **राजीदेवी वगैरह बनाम करमसी वगैरह, मुकदमा संख्या :– 01/2019**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीली में जारी हुए

14.10.2024

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वांके सरहद मौजा पहाड़पुरा के खेत खसरा संख्या 253 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा में हम प्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 के तथा अप्रार्थी संख्या 1 के कायम मुकाम व 2, 3 के स्व. पिता दरगा पुत्र जवाजी के खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा आई हुई थी। प्रार्थीया संख्या 1 राजी देवी के स्व. पति दरगा पुत्र जवाजी के खातेदारी व कब्जा काश्तसुदा की आई हुई है। दरगा के फौत हो जाने के बाद दरगा के पुत्र जवाजी के जायज वारिसान प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 है। दरगा के फौत होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 62 दरगा के लड़कों का नाम दर्ज किया जबकि दरगाजी की पत्नी स्व. राजी देवी का नाम दर्ज नहीं किया गया तथा दरगा की जायज पुत्रीयां भावी, चमनी व नवु का नाम दर्ज नहीं किया गया। खसरा संख्या 253 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा के नवसृजित खसरा संख्या 698 रकबा 7.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 696 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 697 रकबा 0.03 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.06 हैक्टेयर बने है। खसरा संख्या 253 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा में से दस्तावेज संख्या 385/79 व 588/80 बैचान दस्तावेज में रायमल, लगधीरा को नाबालिग बताया गया है तथा करमसी को वली बताया जो दोनों दस्तावेज फर्जी है। रामयल, लगधीरा अगर नाबालिग भी होते तो उनकी कुदरती वलीया माता राजी देवी थी, अव्यस्क का संरक्षक उनका पिता होता है पिता के अभाव में माता ही अव्यस्क की संरक्षिका हो सकती है। खसरा संख्या 253 रकबा 44 बीघा 03 बिस्वा भूमि संवत् 2009 से दरगा पुत्र जवाजी के खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा आई हुई है जिसमें दरगा के फौत होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 का लगातार पुश्तैनी कब्जा काश्त आया हुआ है। श्रीमान की अदालत में राजस्व वाद संख्या 203/2011 अनवान राजी देवी बनाम करमसी वगैरह विचाराधीन है। दिनांक 17.03.2012 को हल्का पटवारी सांचौर व भू–निरीक्षक सांचौर द्वारा मौका देखा गया, मौका अनुसार खसरा संख्या 696, 697, 698 रकबा 7.06 हैक्टेयर पर वना, रायमल, करमसी, राजी देवी पत्नी दरगा, नवु बैवा धना का कब्जा काश्त है जिसमें ढाणियां बनाकर निवास कर रहे है। उक्त आराजी पर अप्रार्थी संख्या 4 का कभी भी किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की पैतृक भूमि है पुश्तैनी कब्जा काश्त लगातार चला रहा है। अप्रार्थीगण ने कभी–भी किसी को हस्तांतरण वगैरह नहीं की है अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि वांके सरहद मौजा पहाड़पुरा के खेत खसरा संख्या 698 रकबा 7.06 हैक्टेयर, खसरा संख्या 696 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 697 रकबा 0.03 हैक्टेयर जुमले रकबा 7.10 हैक्टेयर भूमि मूल वाद के निर्णय तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। किसी को बैचान या हस्तांतरण नहीं करें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखे इस आशय की [illegible] निषेधाज्ञा फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 (क, ख, ग, घ, ङ) ने इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अवरण संख्या 1 लगायत 9 सही होने से स्वीकार है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तो हम अप्रार्थीगण को कोई आपति अथवा एतराज नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आधारहीन, सारहीन एवं गलत तथ्यों पर पेश करने से उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें।

मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का भली भांति अध्ययन व अवलोकन

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:28 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) [illegible]

किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

:– आदेश :–

अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वांके सरहद मौजा पहाड़पुरा के खेत खसरा संख्या 253 के नवीन खसरा संख्या 696, 697 व 698 रकबा 7.10 हैक्टेयर में अप्रार्थी संख्या 4 मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से एक कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार, आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) सांचौर, जिला–सांचौर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.29 15:07:28 IST
Reason: SelfAttested